प्रेस विज्ञप्ति
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक मार्च 19, 2023

!!� आज दिनांक 19.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महराजगंज श्री डॉ0 कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरुक।

2. महराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई ।

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 84 वाहनों का चालान किया गया।

4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण,स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी । तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 27 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 09 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

6. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। तथा नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 32 व्यक्तियों का 110 जी जा0फौ0 व 02 व्यक्तियों को धारा 34 पुलिस अधिनियम में कार्यवाही की गई।

7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-
थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता विशाल रौनियार पुत्र सुरेन्द्र रौनियार निवासी नरायनपुर टोला शिकारगढ थाना बरगदवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 105 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 40/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता छेदी पुत्र सूरज निवासी टिकुलहिया थाना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 60 अदद देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 120/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

08. कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-
थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त नाम व पता अज्ञात के कब्जे से 02 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/23 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया ।

9. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-
थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त पवन कुमार पुत्र श्रीकान्त निवासी खुर्रमपुर टाँगिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-निल/23 धारा ¾ गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

10. विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 09 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

11. जनपद में 18/19.03.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 29 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

12.आदेश- महराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रुप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकीरियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा।